संख्या–वे0आ0–2– 782 / दस–59(एम) / 08

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2010

विषय– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन / वेतनमान में संशोधन विषयक फर्जी शासनादेश का खण्डन।

महोदय

शासन के संज्ञान में यह आया है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमान रू0 3050–4590 के लिये अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 1900 / – के स्थान पर रू0 2000 / – अनुमन्य करने सम्बन्धी श्री मनजीत सिंह प्रमुख सचिव, वित्त की ओर से जारी शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–288 / दस–59(एम) / 08 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 प्रसारित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना है कि राज्य सरकार द्वारा वेतनमान रू0 3050–4590 के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 1900 / – को संशोधित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः उपरोक्त तथाकथित शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–288 / दस–59(एम) / 08, दिनांक 16 मार्च, 2010 के आधार पर कूट रचना करके फर्जी रूप से प्रसारित किया गया है, जो पूर्णतयाः फर्जी है।

3– अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त फर्जी शासनादेश संख्या वे0आ0 2–288 / दस–59(एम) / 08, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के आधार पर कोई कार्यवाही न की जाय तथा अब तक यदि कोई कार्यवाही की जा चुकी हो तो उसे मूल रूप में अविलम्ब निरस्त कर दिया जाय एवं किये गये अनियमित भुगतान का समायोजन भी कर लिया जाय।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2- 782 (1)/दस–59(एम)/08, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1 एवं 2 तथा (ऑडिट)–1 एवं 2, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या–वे0आ0–2– 782 (2)/दस–59(एम)/08, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि विशेष कार्याधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश का विस्तृत रूप से प्रचार एवं प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 27 सा0 वित्त 21.7.2010 (655)–3002 प्रतियां (कम्प्युटर/आफसेट